

भारतसरकार  
वित्तमंत्रालय  
राजस्वविभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 31/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 31.07.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता (मै.)	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ट्वेंटी फ्रस्ट सेंचुरी आयरन & स्टीलस लि, 501, गार्डन व्यू, गुलमोहर पार्क, गुलमोहर रोड, रिलायंस वेब वर्ल्ड के सामने, जेवीपीडी, जुहू, मुंबई- 400 049 और 18 अन्य	फ़ा सं. DRI/MZU/CI/INT-18/ 2018/1690-1712 दिनांक 23.04.2020	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-III), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात-I), कस्टम हाउस, बललाई इस्टेट, मुंबई संयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगल्कबाद, नई दिल्ली	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
2	श्री गणेश एक्सिम, लक्ष्मी प्रेमिसेस,	फ़ा सं. DRI/BZU/ MRU/1/ENQ-03(INT-	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, चेन्नई-II, कस्टम हाउस,	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा

	श्री गणेश इंडस्ट्रीज के पीछे, लक्ष्मीपुरा विल्लेज, चल्लाकेर, चित्रदुर्ग-577522	04/2019 दिनांक 22.05.2020	चेन्नई प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बैंगलोर प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, न्यू कस्टम हाउस, पनम्बूर, मंगलोर	शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बैंगलोर
3.	ब्रांड कान्सैप्टस लिं., रजिस्टर्ड कार्यालय #140/2/2 रिंग रोड स्कवायर, मुसाखेड़ी, इंदौर-452001	फ़ा सं. DRI/LZU- CI/26/Enq.16 (INT- 0)/2017 दिनांक 10.06.2020.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
4.	टोयोटा किर्लोसकर मोटर्स प्रा. लिं., प्लॉट सं. 1, बिदादी इंडस्ट्रियल एरिया, बिदादी रामनगर डिस्ट्रिक्ट, रामा नगर, कर्नाटक-562109	फ़ा सं. DRI/BZU/S-IV/ Int-03/2015 दिनांक 28.05.2020	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, बैंगलोर एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बैंगलोर- 560300 प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
5.	डेल्ट्रोनिक्स इंडिया लिं., A-323, सरिता विहार, नई दिल्ली	फ़ा सं. DRI/NRU/ STR/24/2018/345-351 दिनांक 05.03.2020	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, चेन्नई-II, कस्टम हाउस, चेन्नई प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, चेन्नई-IV, कस्टम हाउस, चेन्नई संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो (आयात), नई दिल्ली	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

[फ़ा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-17/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बैंगलोर, लखनऊ, लुधियाना और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।